सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/293** दायर दिनांक 16.10.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. छोटूराम पुत्र नन्दाराम 2. जगाराम पुत्र गुलाराम समस्त जाति नायक 3. रतनाराम पुत्र दानाराम 4. बुद्वाराम दत्तक पुत्र स्व. अर्जुनाराम पुत्र रामूराम 5. गलकूदेवी पत्नि स्व. अर्जूनराम जातिगण मेघवाल निवासीगण रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. लक्ष्मणराम पुत्र सुवाराम जाति मेघवाल निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना 2. उप पंजीयक मौलासर,उप तहसील मौलासर। 3. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88 188, R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री मो0 अली शेरानी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 02 व 03

–:: निर्णय ::–

दिनांक **13.11.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा सरहद ग्राम लादडिया में स्थित खेत खसरा नम्बर 321 रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी स01 तथा अन्य खातेदारान की मौजुद है। नकल वर्तमान खतौनी की साथ में पेश है। मौजा सरहद ग्रम लादडिया में स्थित खेत खसरा नम्बर 321 रकबा 31 बीघा में प्रतिवादी स0 1 लक्ष्मणराम के हक हिस्से व अधिकार तथा कब्जे की 06 बीघा 12 बिस्वा भूमि थी प्रतिवादी स0 1 का मौके पर अन्य खातेदारान से आपसी सुझबुझ व सहमति से बंटवारा होकर प्रतिवादी सं01 अपने बंट की भुमि पर काबिज चला आ रहा था।

प्रतिवादी सं0 1 ने वादी सं0 4 व 5 के पिता/पति स्वं अर्जुनाराम को अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि मे से 01 बीघा 02 बिस्वा भूमि का रजिस्टर्ड बैचाण दिंनाक 07.02.2001 को कर दिया तथा मौके पर उक्त भूमि का कब्जा वादी स0 1 से 3 तथा वादी स0 4 व 5 के पिता/पति

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

स्व. अर्जुनाराम को सम्मला दिया तब से उक्त जायगा पर वादी स0 1 से 3 तथा स्व.अर्जुनाराम तत्पश्चात अर्जुनाराम के वारिसान वादी स0 4 व 5 उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। उक्त खेत की खातेदारी में वादीगण का नाम दर्ज है।

प्रतिवादी स0 1 के द्वारा वादी स0 1 से 3 तथा वादी स0 4 व 5 के पिता/पति स्व. अर्जुनाराम को जरिये रजिस्ट्र्ड बैचाण की गई 01 बीघा 02 बिस्वा भूमि के पाडोस निम्न हैं।

पुर्व में मूलसिहं की जायगा
पश्चिम में मूलसिहं की जायगा
उतर में केसरसिह वगैरहा की जायगा
दक्षिण में सेवाराम की जायगा।

उपरोक्त प्रकार से पडौसी रजिस्टर्ड विलेख में भी दर्ज है। उक्त रजिस्टर्ड विकय विलेख की प्रतिलिपी वाद पत्र के साथ में पेश है।

प्रार्थना वादीगण है कि मौजा सरहद ग्रम लादडिया में स्थित खेत खसरा नम्बर 321 रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा में से वादीगण की खरीदसुदा व कब्जासुदा 01 बीघा 02 बिस्वा की स्वतन्त्र अलग खातेदारी घोषित की जाकर वाद पत्र के पैरा स0 4 में वर्णितानुसार बाई मिटस एवं बाउन्डस बंटवारा फरमाया जाकर रेकर्ड दुरुस्ती फरमावे। स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादर फरमावें कि मौजा सरहद ग्राम लादडिया में स्थित खेत खसरा न. 321 रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा में से वादीगण की खरीदसुदा व कब्जासुदा 01 बीघा 02 बिस्वा भूमि वाद पत्र के पैरा स04 में वर्णितानुसार पर से प्रतिवादीगण वादीगण बेदखल ना करे और ना ही उक्त भूमि का बैचाण विनिमय हस्तानान्तरण प्रतिवादी स0 1 स्वयं करे और ना ही अपने किसी एजेन्ट या प्रतिनिधि से ऐसा करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी सं0 01 ता 03 को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 02 व 03 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत पक्षकारान को सुनाई व समझाई गई। जिसे पक्षकरान द्वारा बिना किसी लालच व दबाव के सही होना स्वीकार किया। अतः बाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किया गया। राजीनामा अनुसार खसरा सं0

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017 / 293
दायर दिनांक 16.10.17 निर्णय दिनांक 26.10.2017
छोटूराम बनाम लक्ष्मणराम वगैरा

321 रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा में से वादी सं0 01 छोटूराम का 01 बीघा, वादी सं0 02 जगाराम का 01 बीघा, वादी सं0 03 रतनाराम का 01 बीघा 02 बिस्वा, तथा वादी सं0 04 व 05 बुद्धाराम व गलकुदेवी का 01 बीघा रजिस्ट्री में दर्शाये पडौस अनुसार बंटवारा करते हुए खातेदार घोषित किया जावे तो प्रतिवादी सं0 01 को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्कों पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोनोपरान्त वादीगण का वाद जरिये राजीनामा डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा जरिये राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके सरहद लादडिया के खेत खसरा सं0 321 रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा में से वादी सं0 01 छोटूराम का 01 बीघा, वादी सं0 02 जगाराम का 01 बीघा, वादी सं0 03 रतनाराम का 01 बीघा 02 बिस्वा, तथा वादी सं0 04 व 05 बुद्धाराम व गलकुदेवी का 01 बीघा की खातेदारी रजिस्ट्री में दर्शाये पडौस अनुसार बंटवारा करते हुए घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **13.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक:- 14/12/17

नोट:- खसरा सं0 321 के स्थान पर 983/321 उक्त किता नाम्बे तथा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/293 दायर दिनांक 16.10.2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. छोटूराम पुत्र नन्दाराम 2. जगाराम पुत्र गुलाराम समस्त जाति नायक 3. रतनाराम पुत्र दानाराम 4. बुद्वाराम दत्तक पुत्र स्व. अर्जुनाराम पुत्र रामूराम 5. गलकूदेवी पत्नि स्व. अर्जूनराम जातिगण मेघवाल निवासीगण रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. लक्ष्मणराम पुत्र सुवाराम जाति मेघवाल निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना 2. उप पंजीयक मौलासर,उप तहसील मौलासर। 3. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88 188, R.T.Act.

दिनांक 13.11.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 अली शेरानी अधिवक्ता वादीगण व श्री विरेन्द्र प्रतापसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा जरिये राजीनाम डिक्री सादिर कर, सरहद लादडिया के खेत खसरा सं0 321 रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा में से वादी सं0 01 छोटूराम का 01 बीघा, वादी सं0 02 जगाराम का 01 बीघा, वादी सं0 03 रतनाराम का 01 बीघा 02 बिस्वा, तथा वादी सं0 04 व 05 बुद्वाराम व गलकुदेवी का 01 बीघा की खातेदारी रजिस्ट्री में दर्शाये पडौस अनुसार बंटवारा करते हुए घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.11.2017 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दिनांक:- 14/12/17

नोट:- खसरा नं. 321 के स्थान पर खसरा नं. 983/321 इन्द्राज किया जाता है तथा संलग्न जारी नक्शा अनुसार पटवार हल्का को नक्शा बनाने हेतु कार्यवाही प्रेषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner